



# निवास अनुमति (रेसीडेंट परमिट) पर जानकारी मानवीय कारणों के लिए अनुच्छेद 25.5 के अनुसार

मानविय करणों से निवास की अनुमति (रेसीडेंट परमिट) का क्या मतलब होता है?

अगर मुझे वापिस जाना पड़े (अपने देश) लेकिन किसी ठोस कारणों से मैं वापिस जाने में असमर्थ हूँ ऐसे में मुझे मानवीय कारणों के लिए निवास की अनुमति (रेसीडेंट परमिट) मिल सकती है। इस प्रकार की निवास की अनुमति प्राप्त करने के कई सारे कारण हैं।

मुझे मानवीय कारणों के लिए निवास की अनुमति कब मिल सकती है?

- ✓ वर्तमान में मेरे पास डुलडूंग है (अनुच्छेद 60 ए के अनुसार, डुलडूंग पेपर देखें)।
- ✓ मुझे निर्वासित (डिपोर्ट) नहीं किया जा सकता है। कुछ कारण हैं जिनको मैं प्रभावित नहीं कर सकता और यह जल्द नहीं बदलेंगे।

मैं वापिस नहीं जा सकता क्योंकि:

- ✓ मैं बहुत बीमार हूँ और मेरी बीमारी के कारण वापिस नहीं जा सकता
- ↳ या मेरे पास जर्मनी में रहने वाले कुछ लोगों के साथ पारिवारिक संबंध हैं
- ↳ या मैं यहाँ बहुत समय से रहता हूँ और मैं यहाँ स्थायी हूँ
- ↳ या मेरे देश में पर्याप्त परिवहन (यातायात सुविधाएँ) नहीं हैं
- ↳ या मेरे पास मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं है और दूतावास से कोई कागजात नहीं मिले अधिक जानकारी **Mitwirkungspflicht** पर।
- ✓ मेरे पास पासपोर्ट या विदेशियों के लिए प्रवास-पास या अन्य पहचान पत्र (आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, पंजीकरण रिकॉर्ड)
  - ↳ या मैं साबित कर सकता हूँ कि मेरे पास पासपोर्ट या पहचान पत्र / विदेशियों के लिए प्रवास-पत्र (नया) है। महत्वपूर्ण है कि पासपोर्ट प्राप्त करने के प्रयास साबित करने योग्य हैं: उदाहरण के रूप से मूल देश के दूतावास से मिली लिखित पुष्टि या पासपोर्टिंग के उद्देश्य के लिए मूल देश में सरकारी अधिकारियों के संपर्क के प्रमाण से।
  - ↳ या मैं साबित कर सकता हूँ कि निकट भविष्य में मुझे अपने देश के विदेश-मिशन से पहचान का दस्तावेज नहीं मिलेगा और आगे के प्रयास / प्रयास अस्वीकार्य हैं (यानी: मेरे लिए आवश्यक नहीं है)
  - ↳ या पासपोर्ट ना होने (कमी होने) के मामले में: मैं साबित कर सकता हूँ कि मैंने पासपोर्ट प्राप्त करने की और मेरी पहचान को स्पष्ट करने के लिए सबकुछ करने की कोशिश की है (यानी, "सहयोग करने के लिए कानूनी दायित्वों का पालन करना")।
- ✓ मैं आर्थिक रूप से (50% से अधिक) आत्म निर्भर हो के खुद को पोषित कर सकता हूँ या मुझे आजीविका जल्द ही प्राप्त हो सकती है ("सकारात्मक पूर्वानुमान"):
  - ✓ मैं इन परिस्थितियों में सामाजिक सहायता का हकदार हूँ: शिक्षा या आउसबिल्डिंग, नाबालिग, अकेले माता-पिता की देखभाल करना या करीबी रिश्तेदारों की देखभाल करना
  - ↳ या मैं बीमार हूँ या शारीरिक या मानसिक क्षति है या मेरी उम्र के कारण काम नहीं कर सकता,
- ✓ मुझे जर्मन भाषा का मौखिक ज्ञान ए 2 (A2) लेवल तक है,
- ✓ अगर मेरे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्कूल जाना पड़ता है, तो मैं बच्चों की स्कूल उपस्थिति साबित कर सकता हूँ,



# निवास अनुमति (रेसीडेंट परमिट) पर जानकारी मानवीय कारणों के लिए अनुच्छेद 25.5 के अनुसार

- ✓ अपराधों के लिए कोई दोषसिद्धि नहीं है, लेकिन: आपराधिक रिकॉर्ड के साथ भी निवास परमिट का अनुरोध किया जाना चाहिए,
- ✓ मैं जर्मनी में "मुक्त लोकतांत्रिक मूल आदेश" को स्वीकार करता हूँ: इसके लिए मैं आउसलांडर-बहयोर्ड (फ़ोरेन कार्यालय) में दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर सकता हूँ। दस्तावेज़ को पहले पढ़ना और फिर साइन करना अच्छा होता है,
- ✓ मुझे "कानून, सामाजिक व्यवस्था और जर्मनी में रहने के तौर तरीके" पता है। नोट: कृपया परामर्श केंद्र से संपर्क करें क्योंकि आखिरकार सबूत जरूरी है।

## और क्या महत्वपूर्ण है?

- ! सभी अनुरोधित दस्तावेजों के साथ आवेदन का समय मायने रखता है।
- ! कानून के अनुसार सभी आवश्यकताओं और दस्तावेज एक साथ उपस्थित होने चाहिए।
- ! फिर आउसलांडर-बहयोर्ड (फ़ोरेन कार्यालय) को निवास की अनुमति देनी होगी।

कुछ विनिर्देशों के लिए अपवाद संभव है। आउसलांडर-बहयोर्ड को एक विवेकाधिकार है। विशेष रूप से यदि कोई शर्त / दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है क्योंकि मैं इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ।

सहयोग करने का दायित्व (MITWIRKUNGSPFLICHT) ज्यादातर पहचान पत्रों से संबंधित / आधारित है।

यह सुनिश्चित करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरी सहभागिता को पहचाना जाए?

- ✓ आउसलांडर-बहयोर्ड मानता है कि मैं इस तथ्य के लिए ज़िम्मेदार हूँ कि मुझे निर्वासित (डिपोर्ट) नहीं किया जा सकता है।
- ✓ केवल एक का अपना व्यवहार सुसंगत माना जाता है, न कि परिवार के सदस्यों का व्यवहार,
- ✓ केवल सहयोग दायित्वों का वर्तमान उल्लंघन सुसंगत हैं। पिछला व्यवहार किसी कारण के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है, अगर वर्तमान में सहयोग करने का दायित्व पूरा हो गया है।

## मुझे कहा सहयोग मिल सकता है?

👤 यदि आपको आवश्यकताओं को पूरा करने और तैयारी के बारे में कोई प्रश्न है, तो परामर्श केंद्र पर जाना या कानूनी सहायता लेना सहायक होगा।

निम्नलिखित स्थान आपको मदद कर सकते हैं:

- ▶ Sachsen-Anhalt में: die Beratungsstellen der Gesonderten Beratung und Betreuung  
🔗 <https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/adressen-und-beratungsstellen/kontakte-landesweit/>,
- ▶ das Projekt „Right of Residence“ 🔗 <https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/ueber-uns/projekte/ror/> des Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.
- ▶ अन्य सभी राज्यों में: Flüchtlingsräte 🔗 <http://www.fluechtlingsrat.de/> वे या तो स्वयं सलाह देते हैं या परामर्श केंद्रों को संपर्क सकते हैं और यदि आवश्यक हो, तो विशेष वकीलों से भी संपर्क कर सकते हैं।

## अधिक जानकारी के लिये:

- ▶ Gutachten zu Mitwirkungspflichten von Dr. Carsten Hörich und Stud. Iur. Moritz Putzar-Sattler: „Voraussetzungen von Sanktionen bei Nichtmitwirkung im Ausländerrecht“  
🔗 <https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/2017/11/9275/>;
- 🔗 <https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/2018/08/ror-gutachten-zu-aufenthaltsmoeglichkeiten-nach-dem-asylverfahren>